UPSR010014952026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– सौरभ सक्सेना , **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP01753**

जमानत आवेदन नं०-586/2026

1–**वसीम खॉ** उम्र 46 वर्ष पुत्र मुजम्मिल खॉ

2–पंकज तिवारी उम्र 41 वर्ष पुत्र अशोक कुमार तिवारी

निवासीगण–चौबेपुरवा, थाना–सिरसिया, जनपद–श्रावस्ती।

3–दयाराम उम्र 56 वर्ष पुत्र रामफेरन

निवासी–रानीपुर, दा0–चौबेपुरवा, थाना–सिरसिया, जनपद–श्रावस्ती।

....आवेदकगण/अभियुक्तगण

बनाम

राज्य उ0 प्र0 .....अभियोगी

अ0 सं0–172/2026
धारा–109 (1), 324 (4)बी0एन0एस0
थाना–सिरसिया, जनपद–श्रावस्ती

दिनांक 22.07.2026

निस्तारण जमानत आवेदन

1– वर्तमान जमानत आवेदन आवेदकगण/अभियुक्तगण **वसीम खॉ, पंकज तिवारी** व **दयाराम** की ओर से अ0 सं0 172/2026, धारा 109 (1), 324 (4) बी0एन0एस0, थाना सिरसिया, जनपद श्रावस्ती के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2– संक्षिप्त अभियोजन कथानक के अनुसार इस प्रकार हैः– वादी मुकदमा रिजवान पुत्र सुल्तान निवासी भुतना, दा0 हेमपुर, थाना सिरसिया, जनपद श्रावस्ती ने थानाध्यक्ष सिरसिया को दिनांक 25.06.2026 को इस आशय की तहरीर दिया कि उसका भाई भल्लू पुत्र सुल्तान व टेढ़े पुत्र अ0 हकीम निवासी रानीपुर दा0 चौबेपुरवा तथा विपक्षीगण वसीम पुत्र मिजमिल, पंकज पुत्र अशोक, नफीस पुत्र मैकू निवासीगण रानीपुर दा0 चौबेपुरवा, दयाराम पुत्र रामफेरन निवासी चौबेपुरवा, थाना सिरसिया, जनपद श्रावस्ती का जमीनी विवाद कई वर्षों से चला आ रहा है। इस सम्बन्ध में एस0 डी0 एम0 महोदय के यहॉ ननकऊ व विपक्षी वसीम आदि से मुकदमा चल रहा था जिसमें भल्लू पुत्र सुल्तान व टेढ़े पुत्र अ0 हकीम, ननकऊ की मदद कर रहे थे। एस0 डी0 एम0 के यहॉ से ननकऊ के पक्ष में डिग्री हो गयी। इसी रंजिश से दिनांक 24.06.2026 को समय 7 बजे

रात्रि को भल्लू व टेढ़े दोनों लोग मोटरसाइकिल से भिनगा से पेशी करके घर लौट रहे थे तभी विपक्षीगण बढ़ईपुरवा गॉव के पास चार पहिया गाड़ी से रोकने की कोशिश किये नहीं रूकने पर चार पहिया गाड़ी से मोटरसाइकिल से ठोकर मार कर गिरा दिये तथा गाड़ी से उतारकर लाठी व भन्डा से सिर पर जान से मारने के उद्देश्य से हमला कर दिया और काफी मारा पीटा जिससे उसका भाई व टेढ़े सड़क के किनारे गिरकर बेहोश हो गये और मरा समझकर वे लोग अपने वाहन पर बैठकर चले गये। कुछ राहगीरों ने दोनों लोगों के परिजनों को सूचना दिया जिससे परिवार वाले आकर भल्लू व टेढ़े को जिला हास्पिटल भिनगा भर्ती कराया जहॉ उनका इलाज चल रहा है। हालत काफी गम्भीर है। वह आज सूचना देने को आया है। अतः विपक्षीगणों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की याचना की गयी।

उक्त तहरीर के आधार पर आवेदकगण/अभियुक्तगण एवं एक अन्य के विरूद्ध धारा 281, 125 (ए), 109 (1), 110 बी0एन0एस0 2023 में पंजीकृत हुई। मामले की विवेचना लम्बित है।

3– आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन के समर्थन में तर्क दिया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण निर्दोष हैं। वादी मुकदमा द्वारा लगाये गये आरोप बिल्कुल झूठे हैं। सच्चाई यह है कि वादी मुकदमा रिजवान ने जिस जमीनी विवाद के बारे में तहरीर में उल्लेख किया है वह जमीनी विवाद ननकऊ व यार मोहम्मद में चल रहा है। वास्तविकता यह है कि सड़क दुर्घटना के रूप में पंजीकृत किया गया था किन्तु बाद में राजनैतिक दबाव के तहत झूठी घटना के आधार पर इस मुकदमें को फौजदारी का स्वरूप दे दिया गया। चिकित्सकीय रिपोर्ट वादी द्वारा लगाये गये आरोप का समर्थन नहीं करती है। किसी भी घायल को कोई गम्भीर जानलेवा चोटें नहीं आयी है। सभी चोटें साधारण प्रकृति की है। सह अभियुक्त नफीस की जमानत सत्र न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है। आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने की प्रार्थना की गयी।

4– इसके विपरीत विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा सह अभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा के भाई भल्लू व टेढ़े जो मोटरसाइकिल पर सवार थे, चार पहिया गाड़ी से ठोकर मारकर हत्या करने का प्रयास किया गया। आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। आवेदकगण/अभियुक्तगण का जमानत आवेदन खारिज किये जाने की प्रार्थना की गयी।

5– आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना तथा

केस डायरी व अन्य अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6– अपराध संख्या 172/2026, थाना सिरसिया, जनपद श्रावस्ती से सम्बन्धित केस डायरी तथा उसके साथ उपलब्ध सुसंगत अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया। एक्सरे रिपोर्ट जो केस डायरी के साथ संलग्न है, के अनुसार चिकित्सीय आख्या में एन0 ए0 डी0 आना कहा गया है तथा दोनों चोटहिलों को गम्भीर प्रकृति की चोटें नहीं बतायी गयी है। उक्त दोनों को आयी हुई चोटें साधारण प्रकृति की प्रतीत होती हैं। यह सही है कि प्रारम्भ में यह मामला/मुकदमा दुर्घटना से सम्बन्धित था जिसे कि धारा 281, 125(ए), 109(1), 110 बी0एन0एस0 में दर्ज किया गया परन्तु बाद में मामले को धारा 109(1) व 324 (4) बी0एन0एस0 में दर्ज किया गया। धारा 324 (4) बी0एन0एस0 जो कि दो वर्ष के कारावास, जुर्माने या फिर दोनों से दण्डनीय है। आवेदक/अभियुक्त वसीम के विरूद्ध एक पूर्व का आपराधिक वाद पंजीकृत होने के सम्बन्ध में आवेदक/अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उसे न्यायालय द्वारा मामले में दोषसिद्ध नहीं किया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण अन्तरिम जमानत पर हैं उनके द्वारा अन्तरिम जमानत का दुरूपयोग नहीं किया गया है। सह अभियुक्त नफीस उर्फ नफीस खान की जमानत सत्र न्यायालय द्वारा दिनांक 07.07.2026 को स्वीकार की गयी है। आवेदकगण/अभियुक्तगण का मामला सह अभियुक्त से भिन्न नहीं बताया गया है। अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते तथा गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना इस न्यायालय की राय में आवेदकगण/अभियुक्तगण का जमानत आवेदन सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदकगण/अभियुक्तगण **वसीम खॉ, पंकज तिवारी** व **दयाराम** का जमानत आवेदन निम्न शर्तो के साथ स्वीकार किया जाता हैः–

(i)– यह कि आवेदकगण/अभियुक्तगण अति विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहेंगे।

(ii)– यह कि आरोप निर्धारण, साक्षी के उपस्थित होने पर तथा धारा 351 बी एन एस एस के अन्तर्गत बयान हेतु नियत तिथियों पर आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

(iii)– यह कि आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा अभियोजन साक्षी/अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करने का प्रयास नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त शर्तो के उल्लंघन किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा आवेदकगण/अभियुक्तगण की जमानत निरस्त की जा सकेगी।

उपरोक्त शर्तो के अनुपालन में अण्डरटेकिंग तथा बीस–बीस हजार रूपये की एक–एक जमानत व समान धनराशि का निजी बंधपत्र सम्बन्धित विद्वान मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

(सौरभ सक्सेना)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश
श्रावस्ती

दिनांक 22.07.2026